न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जोबनेर, जयपुर

पीठासीन अधिकारी देवेन्द्र सिंह चौहान आर0ए0एस

मुकदमा नं0 46 / 2025

1. शंकर पुत्र जगदीश
2. गोपाल पुत्र कानाराम
3. कोयली देवी पत्नि जगदीश प्रसाद
4. चन्द्री देवी पुत्री कानाराम
5. छोटूराम पुत्र कानाराम
6. फूलचन्द पुत्र जगदीश प्रसाद
7. महेश पुत्र जगदीश
8. माना देवी पत्नि कानाराम
9. मोहन लाल पुत्र जगदीश प्रसाद
10. रूडमल पुत्र भागीरथ
11. श्रवण कुमार पुत्र भागीरथ
12. सन्तोष पुत्री कानाराम

समस्त जाति जाट निवासी डूंगरी कला, तह0 जोबनेर जिला जयपुर राज0

प्रार्थीगण

बनाम

1. अर्जुन पुत्र लच्छा
2. छीतर पुत्र भगवाना
3. दोलाराम पुत्र भुवाना
4. नाथीदेवी पत्नि लच्छा
5. फुलचन्द पुत्र लच्छा
6. बनवारी पुत्र लच्छा
7. मालीराम पुत्र भुवाना
8. रामकुवार पुत्र लच्छा
9. रामेश्वर पुत्र लच्छा
10. पतासी देवी पत्नि मालीराम
11. प्रभाती देवी पत्नि दोलाराम

समस्त जाति जाट निवासी डूंगरी कला, तह0 जोबनेर जिला जयपुर राज0

12. तहसीलदार, जोबनेर

अप्रार्थीगण

उपखण्ड अधिकारी
जोबनेर, जयपुर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर0टी0 एक्ट

उपस्थित :— 1. श्री रामसिंह वकील प्रार्थीगण
2. श्री प्रभुदयाल डिसानियां वकील अप्रार्थीगण

दिनांक :— 06/06/2025

निर्णय

प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र विरूद्ध अप्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 212 आर0टी0 एक्ट के तहत इस आशय का पेश किया कि आराजी खाता संख्या 35 खाता संख्या पुराना 34 की आराजी खसरा नंबर 197 रकबा 0.0759 हे0, ख0नं0 446 रकबा 3.9452 हे0, ख0नं0 450 रकबा 7.5744 हे0, ख0नं0 451 रकबा 1.9853 हे0 वाकै ग्राम डूंगरीकलां तह0 जोबनेर में स्थित हैं। उक्त आराजी वादीगण की खातेदारी में हिस्सा अनुसार जमाबंदी में दर्ज है। तथा खसरा नंबर 448 वादीगण की आराजीयात के पश्चिम दिशा में स्थित है जिस पर वादीगण पूर्वजो के समय से मकानात व बाडे बनाकर काबिज काश्त होकर उपयोग व उपभोग करते आ रहे है। प्रार्थीगण की आराजीयात के पश्चिम दिशा में प्रतिवादीगण सं0 1 लगा0 11 की खातेदारी की आराजी खसरा नंबर 423/1, 425, 426 स्थित है तथा प्रतिवादीगण वादीगण की आराजीयात खसरा नंबर 446, 450, 451 की पश्चिम तरफ की सींव की जमीन को अपनी आराजीयात में मिलाकर नाजायज रूप से कब्जा करना चाहते है तथा जबरन रास्ता कायम करने पर आमाद है। जिसके कारण आयेदिन वादीगण की आराजीयात की पश्चिमी सींव की भूमि को अपनी भूमि में मिलाने का व रास्ता कायम करने का भरसक प्रयास किया जा रहा है। वादीगण द्वारा आराजी खसरा नंबर 448 की भूमि का उपयोग उपभोग बुर्जुगान के समय से करते आ रहे है। उक्त आराजीयात पर कभी भी रास्ता नहीं रहा है। उक्त आराजीयात वादीगण की खातेदारी आराजीयात में सम्मलित रही है। प्रार्थीगण/वादीगण अपने हिस्से की आराजीयात के पूर्वी दिशा में खसरा नंबर 448 की जमीन के बदले आने जाने के लिए रास्ते उपयोग में जमीन छोड दी थी जिस पर डामर रोड बनी हुई है। प्रार्थीगण दिनांक 22.04.2025 को अपनी आराजीयात की बाजोत करने लगा तो प्रतिवादी सं0 1 लगा0 11 ने वादीगण को बाजोत नहीं करने दी और वादीगण की आराजीयात की सींव मेड को तोडकर को फोडकर कब्जा करने व रास्ता कायम करने को आमादा हो गये। खसरा नंबर 450 व 451 की पूर्वी सीमा से रास्ता चालु है। जिस पर डामर सडक का निर्माण होकर आवागमन के उपयोग उपभोग में आ रही है। खसरा नंबर 448 गौ0मु0 रास्ता राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। वर्तमान में डामर सडक की जगह खसरा नंबर 448 को दुरूस्त किया जाकर राजस्व रिकार्ड नक्शे में दुरूस्त किया जाना आवश्यक हुआ है।

उपखण्ड अधिकारी
जोबनेर, जयपुर

अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि दौरानेयाद को अप्रार्थीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि वे प्रार्थना पत्र की मद नं0 2 में वर्णित आराजीयात में प्रार्थीगण के कब्जे काश्त उपयोग उपभोग में मजाहमत पैदा नहीं करे, ना ही वादीगण की उक्त आराजीयात की कोई सींव मेड तोडे, ना ही रास्ता कायम करे। तथा वादीगण की आराजीयात को प्रतिवादी सं0 1 लगा0 11 अपनी आराजीयात में नहीं मिलाए।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की तलबी की गई। अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र का जबाव प्रस्तुत कर अंकित किया है कि राजस्व ग्राम डूंगरी कलां में भूमि होना राजस्व रिकार्ड अनुसार दर्ज होना स्वीकार है शेष तथ्य अस्वीकार है तथा खसरा नबंर 448 जो वादीगण की आराजीयात के पश्चिम दिशा में होना बताया है वह खसरा नंबर वर्तमान राजस्व रिकार्ड में गैर मुमकिन रास्ता राजस्व रिकार्ड में दर्ज है जो कदमी है तथा राजस्व रिकार्ड जमाबंदी भू प्रवन्धक सेटलमेन्ट विभाग राजस्व ग्राम डूंगरी कला संवत 2011 से 2029 की जमाबन्दी में भी खसरा नम्बर 448 रकाब 3 बीघा 15 बीस्वा गेर मुमकिन रास्ता दर्ज है जो वर्तमान जमाबन्दी आज भी गेर मुमकिन रास्ता दर्ज है जिसका वादीगण एवं प्रतिवादीगण तथा अन्य आमजन भी आवागमन हेतु उपयोग उपभोग में ले रहे है। तथा उक्त खसरा नम्बर पर प्रार्थीगण का कब्जा काश्त नही है न ही कोई मकानात बाडा बना हुआ है। प्रार्थीगण उक्त खसरा नंबर 448 की भूमि जो वर्तमान राजस्व रिकार्ड में गेर मुमकिन रास्ता दर्ज है कि भूमि की खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। प्रार्थीगण ने खसरा नंबर 448 के बदले कोई जमीन नही छोड रखी है तथा नही कोई डामर रोड बनी हुई है। प्रार्थीगण उक्त गेर मुमकिन रास्ते की भूमि पर स्थगन की आड में निर्माण कर रास्ते को अवरूद्ध करने पर उतारू है जबकि प्रार्थीगण को ऐसा करने का कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं है। प्रथम दृष्टया केस व सुविधा का संतुलन अप्रार्थीगण के पक्ष में है अगर उक्त प्रार्थना पत्र व स्थगन की आड में प्रार्थीगण अपने मनसुबो में कामयाब हो जात है तो अप्रार्थीगण अपनी काश्त से वंचित हो जायेगे तथा अप्रार्थीगण के पास अपेन खेता में आने जाने के लिए अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र मय विशेष हर्जे खर्चे के खारिज फरमाया जावे।

अप्रार्थी संख्या 12 तहसीलदार जोबनेर द्वारा रिपोर्ट इस आशय की पेश कि गयी है कि खसरा नंबर 448 का सीमाज्ञान करवाया गया। मौके स्थिति अनुसार मौके पर कोई काश्त (फसल) नहीं है। रास्ता मौके पर चालु नहीं है। मौके पर बंद है। आसपास के खसरा नंबर के खातेदारों द्वारा रास्ते का अवरूद्ध कर रखा है।

बहस वकील फरीकेन पर मनन किया। पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन किया।

उपखण्ड अधिकारी
जोबनेर, जयपुर

01 प्रथम दृष्टया प्रकरण :– प्रथम दृष्टया प्रकरण में मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड विवादित आराजी खसरा नं0 448 रकबा 0.9484 हे0 वाकै ग्राम डूंगर कलातहसील जोबनेर जिला जयपुर में स्थित है, जिसकी किस्म गै.मु. रास्त दर्ज है। प्रार्थीगण का कथन है कि प्रार्थीगण खसरा नं0 448 पर कब्जा काश्त होकर उपभोग उपभोग करते आ रहे है तथा खसरा नं0 448 के बदले में अन्य भूमि रास्ते हेतु उपलब्ध करा रखी है। मौका कमीश्नर तहसीलदार जोबनेर द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट दिनांक 30.05.2025 से यह स्पष्ट है कि वर्तमान में खसरा नं0 448 पर कोई कब्जा काश्त नहीं है। एवं रास्त वर्तमान में बंद है। चुकि खसरा संख्या 448 राजस्व रिकार्ड अनुसार गै0मु0 रास्ता है इसलिए अप्रार्थीगण को पावंद किये जाने का कोई औचित्य नहीं है। प्रार्थीगण अपने कथनों को सिद्ध करने में प्रथम दृष्टया असफल रहे है। अतः प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थीगण की अपेक्षा अप्रार्थीगण में निहित है।

02 सुविधा सन्तुलन :– प्रथम दृष्टया प्रकरण से यह स्पष्ट है कि आराजी खसरा नं0 448 रकबा 0.9484 हे0 वाकै ग्राम डूंगर कलातहसील जोबनेर जिला जयपुर में स्थित है, जिसकी किस्म गै.मु. रास्त दर्ज है। मौका कमीश्नर तहसीलदार जोबनेर द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट दिनांक 30.05.2025 से यह स्पष्ट है कि वर्तमान में खसरा नं0 448 पर कोई कब्जा काश्त नहीं है। एवं रास्त वर्तमान में बंद है। अगर गै0मु0 रास्ते पर प्रार्थीगण द्वारा कब्जा कर रास्ते को बंद किया जाता है तो असुविधा भी अप्रार्थीगण को ही होगी। अगर अप्रार्थीगण को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है तो अप्रार्थीगण के लिए असुविधाजनक ही होगा। अतः असुविधा भी प्रार्थीगण की तुलना में अप्रार्थीगण को होगी।

03 अपूरणीय क्षति :– प्रथम दृष्टया प्रकरण एवं सुविधा का सन्तुलन अप्रार्थीगण में निहित है। अतः अपूरणीय क्षति भी अप्रार्थीगण को ही होगी।

प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूरणीय क्षति अप्रार्थीगण के पक्ष में है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण खारिज किये जाने योग्य है।

अतः आज्ञा है कि :–

प्रार्थना पत्र प्रार्थीया अन्तर्गत धारा 212 आर0टी0 एक्ट खारिज किया जाता है। इस न्यायालय द्वारा जारी स्थगन आदेश दिनांक 25/04/2025 को खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 06/06/2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

देवेन्द्र सिंह चौहान
उपखण्ड अधिकारी
जोबनेर, जयपुर